राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2620/2015

जवाहर सिंह चन्द्रावत **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, झालावाड।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 25.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–तृतीय के पद पर सितम्बर, 1975 में हुई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 08.09.1975 को कार्य ग्रहण किया। इसके पश्चात अपीलार्थी की पदोन्नति वरिष्ठ अध्यापक के पद पर फरवरी, 1981 में की गयी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे तर्क है कि नवम्बर, 1998 में द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों को अस्थाई तदर्थ रूप से व्याख्याता स्कूल के पद पर पदोन्नत कर पदस्थापित किया गया था, उसके पश्चात् आदेश दिनाँक 09.09.2000 के द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम–24(2) के प्रावधानान्तर्गत आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 1998–99 की रिक्तियों के विरूद्ध रिव्यु डीपीसी में व्याख्याता स्कूल शिक्षा के पद पर चयन किया गया था तथा अपीलार्थी का उक्त आदेशानुसार पदस्थापन व्याख्याता के पद पर किया गया। अपीलार्थी को प्राध्यापक स्कूल शिक्षा अंग्रेजी के पद से 60 वर्ष की अर्द्धवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनाँक 30.11.2014 को सेवानिवृत्त किया गया। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनाँक तक प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 2012–13, 2013–14 तथा 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध प्रधानाचार्य के रिक्त पदों हेतु पदोन्नति नहीं की। उनका आगे तर्क है कि राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के नियम–9 के विपरीत जाकर आलोच्य आदेश दिनाँक 15.07.2015 द्वारा वर्ष 2015–16 में पूर्व की सम्पूर्ण प्रधानाचार्य के पदों की रिक्तियों को एक साथ भरते हुये पदोन्नति आदेश जारी किये अर्थात वर्ष 2015–16 वित्तीय वर्ष से पूर्व प्रधानाचार्य के पदों के लिये प्रत्येक वर्ष की रिक्तियों का निर्धारण नहीं करते हुये उक्त प्रावधानों के

विपरीत जाकर प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को वर्षवार निर्धारण नहीं करके एक साथ पदोन्नति आदेश जारी करते हुये सम्पूर्ण रिक्तियों को वर्ष 2015–16 के वर्ष में पदोन्नति की गई, जबकि वर्ष 2015–16 से पूर्व भी प्रधानाचार्य के पद के लिये रिक्तियाँ मौजूद थी। प्रत्यर्थी सं0–1 ने रिक्तियों का निर्धारण नहीं करके एक साथ पदोन्नति करते हुये वर्ष 2015–16 में पदोन्नति कर पदस्थापन आदेश जारी किये, जिसमें अपीलार्थी से कनिष्ठ वर्ष 2000–03 तक के व्याख्याताओं की पदोन्नति कर पदस्थापन किया गया। यदि प्रत्यर्थी सं0–1 उक्त प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष की रिक्तियों का निर्धारण करते हुये पदोन्नति करते तो अपीलार्थी को भी सेवानिवृत्ति से पूर्व पदोन्नति प्राप्त होती तथा पदोन्नति के पश्चात् सेवानिवृति परिलाभ पुनरीक्षित होते। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है कि :–

(क) अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षीगण को निर्देश दिया जावे कि प्रधानाचार्य के पद की वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 में रिक्तियों का निर्धारण कर विभागीय रिव्यु पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जावे तथा अपीलार्थी को पदोन्नति पद पर वरिष्ठता के अनुसार प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया जावे एवं पदोन्नति पश्चात् अपीलार्थी को पेंशन परिलाभों का पदोन्नति पद के फिक्सेशन अनुसार 12 प्रतिशत ब्याज सहित अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग से दिलाया जावे।

(ख) खर्चा अपील दिलाया जावे।

(ग) अन्य सहायता जो माननीय अधिकरण अपीलार्थी के पक्ष में उचित समझे, दिलवाई जावे।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि विभाग द्वारा प्रतिवर्ष नियमित रूप से प्रधानाचार्य पद की रिक्तियों के अनुसार डीपीसी की जाती है। डीपीसी वर्ष 2015–16 में अपीलार्थी पदोन्नति का पात्र नहीं था, क्योंकि अपीलार्थी नवम्बर, 2014 में ही सेवानिवृत हो चुका था।
3. हमनें दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 की प्रधानाचार्य पद के लिये डीपीसी आयोजित नहीं की है और वर्ष 2015–16 में ही डीपीसी आयोजित की गयी। इस कारण से अपीलार्थी को, जो दिनांक 30.11.2014 को सेवानिवृत हो

गया, उसे वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति से वंचित रखा गया। इन वर्षों 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 की समस्त रिक्तियों की भर्ती वर्ष 2015–16 में की गयी, जबकि प्रत्येक वर्ष डीपीसी आयोजित की जानी चाहिए थी। इसके विपरीत प्रत्यर्थी विभाग ने कथन किया है कि प्रत्येक वर्ष ही डीपीसी आयोजित की जाती है। अपीलार्थी वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पात्र नहीं था, क्योंकि अपीलार्थी नवम्बर, 2014 में ही सेवानिवृत हो गया था।

5. हमने प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 (अनुलग्नक–3) का अवलोकन किया, जिससे प्रकट होता है कि उक्त आदेश वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध एवं पूर्व में पारित वर्षो की रिव्यू हुए विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार पदोन्नति का आदेश है। अतः अपीलार्थी ने जिस आदेश को चुनोती दी है वह पूर्व के वर्षो की पदोन्नति के सम्बन्ध में नहीं है। बल्कि पूर्व के वर्षो की रिव्यू हुए विभागीय पदोन्नति समिति एवं वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध है। ऐसे में यह प्रकट होता है कि पूर्व में भी विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित की जा चुकी थी। अपीलार्थी वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पात्र नहीं था, क्योंकि वह पूर्व में ही सेवानिवृत हो चुका था। अपीलार्थी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ किसी भी व्यक्ति को वर्ष 2015–16 से पूर्व के वर्षों की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गयी है। हम यह नहीं पाते हैं कि अपीलार्थी वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु चयन किये जाने योग्य था, क्योंकि अपीलार्थी वर्ष 2014 में ही सेवानिवृत हो चुका था।

6. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)